बिहार सरकार — 971(6)
स्वास्थ्य विभाग 24/10/2017

महत्वपूर्ण सूचना

राज्य के निजी क्षेत्र में संचालित कतिपय मान्यता प्राप्त नर्सिंग प्रशिक्षण (ए0एन0एम0) विद्यालयों से प्राप्त आवेदनों के आलोक में विषय की पुर्नसमीक्षा के पश्चात् पुनः, अंतिम रूप से, सूचित किया जाता है कि आगामी सत्र–2018–19 के लिए मान्यता अवधि में विस्तार हेतु राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

2 – तद हेतु, निर्धारित शुल्क 10000/– (दस हजार रूपये मात्र) सहित विभाग में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31.10.2017 पूर्व से निर्धारित है। इसकी सूचना पूर्व में भी दी जा चुकी है। निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदनों पर विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं अवधि विस्तार प्राप्त नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित संस्थानों में नामांकन निषिद्ध किया जायेगा, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।

3 – इस संबंध में, विस्तृत जानकारी हेतु पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–400(6), दिनांक–18.05.2017 का अवलोकन विभागीय बेवसाईट (www. healthdept.-bih.nic.in) पर किया जा सकता है।

24.10.17
(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 971(6) पटना, दिनांक 24/10/2017

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त सूचना को विभागीय बेवसाईट पर अविलंब अपलोड किया जाय।

24.10.17
संयुक्त सचिव